रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264202
CG-DL-E-27062025-264202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947
No. 381]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

सं. 05/2025- सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 424(अ).— जबकि चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की उपशीर्षक/टैरिफ मद 8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90 और 7606 92 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 06/25/2023-डीजीटीआर, दिनांक 28 मार्च, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 28 मार्च, 2024 को प्रकाशित किया गया था, के साथ पठित शुद्धिपत्र, जो कि दिनांक 12 जून, 2025 और 26 जून 2025 को प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत में सब्सिडाइज़्ड मूल्य पर निर्यात किया गया है;

(ii) विषयगत देश से विषयगत आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति का खतरा है;

(iii) विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण सारवान क्षति का खतरा उत्पन्न हुआ है,

और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची की उस उपशीर्षक/टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा निर्मित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	शीर्षक/ उपशीर्षक/ टैरिफ आइटम	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स*	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.74	वर्ग मीटर	यूएसडी
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	यूएसडी
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	फ़ूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	0.38	वर्ग मीटर	यूएसडी
4.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	0.58	वर्ग मीटर	यूएसडी

5.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	हुआंगशान जिनरुइताई प्रौद्योगिकी।	0.43	वर्ग मीटर	यूएसडी
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	0.63	वर्ग मीटर	यूएसडी
7.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रमांक (1) से (6) तक के अलावा कोई भी उत्पादक	1.16	वर्ग मीटर	यूएसडी
8.	-वही-	-वही-	कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	उपरोक्त क्रमांक (1) से (6) तक के अलावा कोई भी उत्पादक	1.16	वर्ग मीटर	यूएसडी
9.	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश, चीन जन.गण. के अलावा	कोई भी उत्पादक	0.21	वर्ग मीटर	यूएसडी
10.	-वही-	-वही-	ताइवान सहित कोई भी देश, चीन जन.गण. के अलावा	ताइवान	कोई भी उत्पादक	0.21	वर्ग मीटर	यूएसडी

*****क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा कार्ड आदि जैसी विशेष सामग्रियों पर छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली वाटरलेस CtP प्लेटों को छोड़कर, न कि कागज पर।*

नोट 1: उपर्युक्त क्रमांक 1, 3, 7 और 8 के लिए, लगाई जाने वाली काउंटरवेलिंग ड्यूटी की राशि कॉलम संख्या (7) में उल्लिखित काउंटरवेलिंग ड्यूटी की मात्रा और देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, के बीच के अंतर के बराबर होगी (अर्थात्, काउंटरवेलिंग ड्यूटी =उपर्युक्त कॉलम (7) में उल्लिखित शुल्क घटा प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो) जो कि अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26.12.2024 के अंतर्गत देय होगा ।

नोट 2 : उपर्युक्त क्रमांक 2 और 4 के लिए, लगाई जाने वाली काउंटरवेलिंग ड्यूटी की मात्रा कॉलम संख्या (7) में उल्लिखित प्रतिकारी शुल्क घटा देय प्रतिपाटन शुल्क, यदि कोई हो, होगी। चूंकि अंतर राशि ऋणात्मक या शून्य है, ऐसे मामलों में कोई काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लिया जाएगा (यानी सीवीडी = उपरोक्त कॉलम (7) में शुल्क में से एडीडी, यदि कोई हो अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 26.12.2024 के अंतर्गत)।

नोट 3 : क्रम संख्या 5 और 6 के लिए, चूंकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी और प्रतिपाटन शुल्क की राशि क्षति मार्जिन से अधिक है, इसलिए, लगाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी की मात्रा कॉलम संख्या (7) में उल्लिखित क्षति मार्जिन और प्रतिपाटन शुल्क की मात्रा के बीच के अंतर के बराबर होगी (दिनांक 26.12.2024 की अधिसूचना संख्या 28/2024-सीमा शुल्क (एडीडी) की अवशिष्ट श्रेणी के क्रम संख्या (6) पर)। तदनुसार, क्रम संख्या 5 पर उत्पादक के लिए 0.01 यूएसडी / वर्ग मीटर का अंतर शुल्क और क्रम संख्या 6 पर उत्पादक के लिए 0.31 यूएसडी / वर्ग मीटर का अंतर शुल्क काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में देय होगा।

नोट 4 : सीरियल नंबर 9 और 10 के लिए लगाए गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी की मात्रा देय एंटी-डंपिंग शुल्क के अतिरिक्त है क्योंकि अनुशंसित सब्सिडी मार्जिन और एंटी-डंपिंग शुल्क क्षति मार्जिन से कम है। (यानी काउंटरवेलिंग ड्यूटी = कॉलम (7) में शुल्क)

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगायी गयी काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगायी जायेगी और यह भारतीय मुद्रा में देय होगी ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/77/2025-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2025

No. 05/2025-Customs (CVD)

G.S.R. 424(E).— Whereas in the matter of 'Digital Offset Printing Plates' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under sub-heading/tariff items 8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90 and 7606 92 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 06/25/2023-DGTR, dated the 28th March, 2025, read with corrigendum dated 12th June, 2025 and 26th June, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, has *inter-alia* come to the conclusion that—

(i) the subject goods have been exported to India from the subject countries at subsidized prices;

(ii) there is threat of material injury to the domestic industry on account of subject imports from subject countries;

(iii) the threat of material injury has been caused by the subsidized imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of countervailing duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading/tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a countervailing duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Sub-heading/Tariff item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442 50, 3701 30 00, 3704 00 90, 3705 00 00, 7606 11 90, 7606 91 90, 7606 92 90	Digital Offset Printing Plates*	China PR	Any country including China PR	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	0.74	SQM	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	NIL	SQM	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	0.38	SQM	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Anhui Strong State New Materials Co. Ltd.	0.58	SQM	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Huangshan Jinruitai Technology.	0.43	SQM	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd.	0.63	SQM	USD
7.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than producers specified at S. No. (1) to (6) above	1.16	SQM	USD
8.	-do-	-do-	Any other country	China PR	Any producer other than producers specified at S. No. (1) to (6) above	1.16	SQM	USD
9.	-do-	-do-	Taiwan	Any country including Taiwan, excluding China PR	Any producer	0.21	SQM	USD
10.	-do-	-do-	Any country including Taiwan, excluding China PR	Taiwan	Any producer	0.21	SQM	USD

**Excluding waterless CtP Plates used for printing on specialised materials such as credit card, security card etc., and not on paper.*

Note 1: For serial numbers 1, 3, 7 and 8 above, the amount of countervailing duty to be imposed is equivalent to the difference between the quantum of countervailing duty mentioned in column (7) and anti-dumping duty payable, if any (i.e., CVD=Duty mentioned in column (7) above minus ADD, if any) under Notification No. 28/2024-Customs (ADD) dated 26.12.2024.

Note 2: For serial numbers 2 and 4 above, the amount of countervailing duty to be imposed would be the countervailing duty mentioned in column (7) minus antidumping duty payable, if any under Notification No. 28/2024-Customs (ADD) dated 26.12.2024. (i.e. CVD= Duty in column (7) above minus ADD, if any). As the differential amount is negative or zero, no countervailing duty shall be collected in such cases.

Note 3 : For serial numbers 5 and 6, since the sum of countervailing duty and anti-dumping duty exceed the injury margin, therefore, the quantum of countervailing duty to be imposed would be equivalent to the difference between the quantum of injury margin and anti-dumping duty mentioned in column (7) (at S. No. 6 residual category of Notification No. 28/2024-Customs (ADD) dated 26.12.2024). Accordingly, for producer at serial number 5 the differential duty of 0.01 USD/SQM, and for producer at serial no. 6 the differential duty of 0.31 USD/SQM would be payable as countervailing duty.

Note 4 : For serial numbers 9 and 10, the quantum of countervailing duty to be imposed is in addition to the anti-dumping duty payable as the recommended subsidy margin and anti-dumping duty are less than the injury margin. (i.e. CVD = Duty mentioned in column (7) above)

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/77/2025-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA